संघवाद में लोकनीति का क्रियान्वयन : उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा प्रदूषण मुक्ति कार्यक्रमों का अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ से
राजनीति विज्ञान विषय में पी-एच०डी० की
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-सारांशिका

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशिका

डॉ० प्रीति चौधरी

शोधार्थी

शिव कुमार खरवार

नामांकन सं०–815/18

राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान हेतु अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ०प्र०)

2022

सारांशिका

गंगा कायाकल्प करने वाली भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के उचित संरचनागत प्रबन्धन हेतु टॉप – डाउन पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है। जिसके क्रियान्वन में एनएमसीजी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह निकाय राष्ट्रीय स्तर पर गंगा कायाकल्प नीति को क्रियान्वयन कराने वाली शीर्ष संस्था है, जो वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय के अधीन गंगा कायाकल्प नीति को क्रियान्वयन करने का कार्य कर रही है। इसके पूर्व यह संस्था गंगा रिवर बेसिन प्राधिकार के शाखा के रूप में अपने कार्यो का निर्वहन कर रही थी। किन्तु गंगा रिवर बेसिन प्राधिकार के विघटन एवं राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रीय स्तरीय प्रबंन्धन समूह (एनएमसीजी) राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा निर्मित परियोजना को क्रियान्वित कराने वाली शीर्ष निकाय है एवं प्रादेशिक स्तर पर एसपीएमजी (राज्य स्तरीय प्रबन्धन समूह), जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति के द्वारा गंगा कायाकल्प नीतियों को क्रियान्वयन करने का कार्य किया जा रहा है तथापि स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्थानीय निकायों (शहरी एवं पंचायती राज संस्थानों) द्वारा गंगा कायाकल्प की नीति को क्रियान्वयन कराने का कार्य किया जा रहा है। हालाँकि गंगा कायाकल्प की नीतियों का क्रियान्वयन कराने में स्थानीय निकायों की भूमिका केवल नीतियों के क्रियान्वयन मात्र तक ही सीमित है। व्यावहारिक रूप में गंगा कायाकल्प नीति क्रियान्वयन कराने के क्षेत्र में स्थानीय निकायों की भूमिका नगण्य है। फिर वह मसला चाहे निर्णयन से जुड़ा हो या फिर प्रबन्धन से जुड़ा। इसके अलावा गंगा कायाकल्प नीति को क्रियान्वयन कराने में जल निगम के द्वारा सीवेज संयंत्रों निर्माण एवं नियन्त्रण का कार्य किया जा रहा है एवं 10 अंतर – मंत्रालयों (पर्यावरण मंत्रालय के अधीन संस्था सीपीसीबी, नौपरिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, खेल–कूद मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय) एवं नोडल एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है।

भारत सरकार के द्वारा निर्मित विभिन्न जवाबदेही एवं उत्तरदायी संस्थानों (संरचना) के बावजूद गंगा कायाकल्प लिए आवंटित धन का केवल 8–63 प्रतिशत धनराशि ही

उपयोग में लाया जा सका। ऐसा नही है कि भारत सरकार के द्वारा गंगा कायाकल्प हेतु शुरू की गई यह पहली योजना है। इसके पूर्व भी गंगा कायाकल्प के उद्देश्य से कई योजनाए बनाई जा चुकी हैं, जिनमे गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यमुना कार्य 1, यमुना कार्य योजना 2, यमुना कार्य योजना 3, गोमती कार्य योजना इत्यादि शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के चलाये जाने के बावजूद वर्तमान समय में गंगा कायाकल्प सरकार एवं भारत की जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालाँकि पूर्व की योजनाओं की खामियों पर विचार करते हुए सरकार के द्वारा गंगा कायाकल्प की नीतियों के क्रियान्वयन कराने के लिए पीपीपी माडल/एचएएम माडल अनुसरण किया गया है। किन्तु गंगा कायाकल्प के लिए अधिकृत विभिन्न संस्थानों (कैग, एनजीटी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि की रिपोर्ट से यह बात भली – भांति स्पष्ट हो जाती है कि गंगा कायाकल्प के लिए इतनी योजनाएं चलाए जाने के बावजूद गंगा नदी घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को ढोने का माध्यम बनी हुई है। प्रदूषण का स्तर घटने के बजाय मानक स्तर से कई गुना अधिक हो चुका है।

2015 से गंगा कायाकल्प नीति नमामी गंगे परियोजना को क्रियान्वित कराने के लिए समग्र गंगा बेसिन दृष्टिकोण को अपनाते हुए वर्तमान समय में गंगा कायाकल्प नीति को गंगा बेसिन के मध्य आने वाले आठ राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमे गंगा प्रवाह वाले पांच राज्यों को (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल) शामिल किया गया है। इसके अलावा गंगा बेसिन क्षेत्र के मध्य आने वाले दिल्ली, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत गंगा कायाकल्प नीति को गंगा प्रवाह वाले पांच राज्यों में 118 शहरी निकायों (शहरी विकास मंत्रालय) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। ताकि गंगा कायाकल्प, पुर्नरुद्धार को सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए गंगा संरक्षण एवं पुर्नरुद्धार से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारियों एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकीय संस्थान/आईआईटी (7 आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, खडगपुर, गुवाहाटी एवं रुड़की संस्थानों शामिल है।) के द्वारा निर्मित योजना का उपयोग

किया जा रहा है तथापि स्वैच्छिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करने हेतु क्लीन गंगा फण्ड एवं पारदर्शिता एवं उतरदायित्व प्रबंधकीय समूह (राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तरीय प्रबंन्धन समूह (एनएमसीजी) 4 गंगा टास्क फोर्स के माध्यम से, प्रादेशिक स्तर पर राज्य स्तरीय कमेटी एसपीएमजी के माध्यम से एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा क्रियान्वित किया जा रही है।) का निर्माण किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय, जल निगम, नोडल एजेंसी एवं अंतर – बहुसंस्थानो के द्वारा गंगा कायाकल्प नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला स्तर गंगा कायाकल्प की नीतियों को आसानी से क्रियान्वियत किया जा सके। हालाँकि गंगा कायाकल्प की नीतियों को क्रियान्वयन कराने वाली संस्थानों मे बुनियादी संसाधनों का अभाव, तकनीकी संसाधन का अभाव, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर प्राधिकारो में समन्वय का अभाव, विलम्ब, प्रबन्धन की समस्या (उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक न होना, दीर्घ अवधि योजना का अभाव, निश्चित/जवाबदेही प्राधिकार का अभाव, मानवश्रम की कमी, विशेषज्ञों की कमी, संयंत्रों का काम न करना, सीवेज नेटवर्क के निर्माण की कमी के कारण सीवेज सयंत्रो की पूरी क्षमता का उपयोग न हो पाना, फण्ड की कमी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण के लिए कोई उचित प्रबन्धन नही किया जा पाना, जटिल अंतरनिर्भरता) एवं निर्णयन की समस्या देखने को मिली जबकि एनएमसीजी/राष्ट्रीय गंगा परिषद इन तमाम बुनियादी संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अंतर्गत संस्थागत कमियों एवं गंगा कायाकल्प नीति को क्रियान्वयन कराने में संस्थागत क्षमता के निर्माण में आने वाली कमियों एवं एनएमसीजी, एसपीएमजी, राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिला स्तरीय समिति, स्थानीय निकायों, जल निगम एवं विभिन्न प्राधिकार प्राप्त संस्थानों की भूमिका का परीक्षण एवं नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की दिशा में आने वाले बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए गंगा कायाकल्प नीति को सफल बनाने की दिशा में संस्थागत क्षमता के विकास हेतु उचित सुझाव देने का प्रयास किया गया है।